प्रकाशचन्द बनाम [illegible] तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 71/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाने का निवदेन किया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 25.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
25.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका । वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
29.07.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.26 16:09:03 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
71 / 2025	2025 / 119	01.05.2025	29.07.2025

उनवान प्रकरण

प्रकाशचंद यादव पुत्र नंदा राम यादव जाति अहीर निवासी वार्ड नम्बर 6 ढाणी बल्डा की तन ग्राम नारै तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत घोषणा [illegible] कास्ती रिकार्ड

(अन्तर्गत धारा 88 राज० [illegible] 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम नारै पटवार हल्का हरदासकाबास भू.अभि.नि. झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 426, 428, 429 कुल किता–3 कुल रकबा 0.8200 हैक्टर में हिस्सा 1/8 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रकाशचंद यादव पुत्र नंदा राम यादव है। तन ग्राम नारै पटवार हल्का हरदासकाबास भू. अभि. नि. झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5800 हैक्टर में हिस्सा 11/232 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रकाशचंद यादव पुत्र नंदा राम यादव है। वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, एल.आई.सी. बोण्ड,, घरेलू विद्युत कनेक्शन आदि में वादी का नाम प्रकाशचंद यादव पुत्र नंदा राम यादव ही दर्ज है परन्तु कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम वादी को घर पर बोलते नाम बाबूलाल पुकारने के कारण भूमियों का जो विक्रय लेख दिनांक 02.08.1999 को तस्दीक व पंजीबद्ध करवाया गया उसमें बाबूलाल लिखा दिया गया था इसलिए भूमि की खातेदारी में बाबूलाल दर्ज हो गया, जिसक कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होती है एवं किसान केडिट कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में बाबूलाल के स्थान पर प्रकाशचंद यादव घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है कार्यालय ग्राम पंचायत हरदासकाबास प्रशासक द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 25.03.2025 को जारी किया गया है कि– प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी [illegible] नन्दाराम यादव निवासी नारै का मूल निवासी है जिसका जमाबंदी में त्रुटिवश प्रकाशचंद की जगह बाबूलाल पुत्र नन्दाराम हो गया है । इसको सही नाम प्रकाशचंद पुत्र नन्दाराम किया जाये इसकी मै भली भांति

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

जानती पहचानती हूं। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि तन ग्राम नारै पटवार हल्का हरदासकाबास भू.अभि.नि. झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 426, 428, 429 कुल किता–3 कुल रकबा 0.8200 हैक्टर मे हिस्सा 1/8 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5800 हैक्टर में हिस्सा 11/232 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम के स्थान पर प्रकाशचंद यादव पुत्र नंदा राम यादव घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट मंगावये जाने बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी जारी हुई। वादपत्र मे अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./25/1954 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का हरदास का बास से राजस्व ग्राम नारे के भूमि खाता संख्या 1/8 खसरा नम्बर 426, 428, 429 किता 3 रकबा 0. 82 हैक्टर में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम हिस्सा 1/8 कौम अहीर तथा भूमि खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 425 रकबा 0.58 हैक्टर में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम हिस्सा 11/232 कौम अहीर दर्ज रिकार्ड है। यह कि उक्त नाम नामांतकरण संख्या 74 जरिये विक्रय पत्र दर्ज हुआ है। संलग्न तहसीलदार फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। बाबूलाल पुत्र नन्दाराम व प्रकाशचंद पुत्र नन्दाराम एक ही व्यक्ति है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में प्रकाशचंद यादव पुत्र नंदा राम यादव व वादी साक्ष्य गवाह में कैलाशचन्द यादव पुत्र ... व नाथूराम यादव पुत्र नंदा राम यादव के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये ... में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077, विक्रय लेख दिनांक 02.08.1999, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार पहचान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत हरदास का बास का प्रमाण पत्र, घरेलू विद्युत कनेक्शन, जाँच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण मे पेश वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित राजस्व ग्राम नारे के भूमि खाता संख्या 1/8 खसरा नम्बर 426, 428 429 किता 3 रकबा 0.82 हैक्टर में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम हिस्सा 1/8 कौम अहीर तथा भूमि खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 425 रकबा 0.58 हैक्टर में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम हिस्सा 11/232 कौम अहीर दर्ज रिकार्ड है। यह कि उक्त नाम नामांतकरण संख्या 74 जरिये विक्रय पत्र दर्ज हुआ है। संलग्न तहसीलदार फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। बाबूलाल पुत्र नन्दाराम व प्रकाशचंद पुत्र नन्दाराम एक ही व्यक्ति है। जिसकी ताईद वादी के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी व साक्ष्य गवाह में प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर बाबूलाल पुत्र नन्दाराम के स्थान पर बाबूलाल उर्फ प्रकाशचंद यादव पुत्र नन्दाराम यादव शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

कलक्टर (कोर्ट केस) श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का ... बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम नारे पटवार हल्का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हल्काबास भू.अभि.नि. झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 426, 428, 429 कुल किता–3 कुल रकबा 0.8200 हैक्टर में हिस्सा 1/8 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5800 हैक्टर में हिस्सा 11/232 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र नन्दाराम के स्थान पर प्रकाशचंद उर्फ बाबूलाल यादव पुत्र नंदा राम यादव घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested